



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 4881 / 2021

दिनांक: 24 अगस्त, 2021

सेवा में

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0-42602/2019 में पारित निर्णय दिनांक: 05 फरवरी, 2020 के अनुपालन में शुल्क वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

कृपया माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 42602/2019 में पारित आदेश दिनांक: 05 फरवरी, 2020 के अनुपालनार्थ निम्न बिन्दुओं पर यथावांछित सूचना/आख्या 15 कार्य दिवसों में विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शुल्क वृद्धि आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की गई अतिरिक्त शुल्क का कक्षावार विवरण।
2. उन विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, पता, फोन नम्बर और E-Mail Address, जिनसे अतिरिक्त शुल्क लिया गया है।

उक्त सूचना को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें तथा संकलित सूचना 15 कार्य दिवसों में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संदर्भित प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. विश्वविद्यालय अधिवक्ता को तदनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त कालेज लागिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव